14.05.25

वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर आज पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थी द्वारा नोट शीट पेश करने के आधार पर मूल वाद इसी स्तर पर खारिज किया जा चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र औचित्यहीन होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.05.25

(किरण पाल)
RAS.